कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा,
संभाग बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

Email Id : jdedu.bastar@gmail.com Phone Number & Fax No. : 07782-319321

—:: आदेश ::—

क्रं./ 1573 /स्था.02/पदो0/ई संवर्ग/2025–26 जगदलपुर, दिनांक 23/03/2026

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश क्र0/एफ 12–17/2018/20–दो अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 05.03.2019 के द्वारा छ0ग0 स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक/प्र0पा0 प्राथमिक शाला को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्र0/एफ 12–25/2020/20–दो अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 10.02.2021 में दिये गये निर्देशानुसार संभाग स्तरीय विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उ0श्रे0शि0/प्र0पा0 प्राथमिक शाला (नियमित)(स्नातक/प्रशिक्षित) (ई संवर्ग) की पदोन्नति प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला (ई संवर्ग) के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 9300–34800 ग्रेड पे 4300 (वेतन मैट्रिक्स 38100–120400 लेवल–09) में पदोन्नत किया जाता है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक स्था 02/टी संवर्ग/451/2025 अटल नगर दिनांक 29.10.2025 में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति उपरांत पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाकर पदांकन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यरत संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	वर्तमान जिला
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती यमुना सेठिया	उ0श्रे0शि0	ज0मा0शा0ब0उ0मा0 वि0 जगदलपुर	जगदलपुर	बस्तर
2	श्री दशरथ नेताम	प्र0अ0प्रा.शा.	प्रा0शा0 माटियापारा लंजोड़ा	फरसगांव	कोण्डागांव
3	श्री जीवन लाल यादव	उ0श्रे0शि0	मा.शा. करजी	तोकापाल	बस्तर
4	श्री गजानंद पानीग्राही	प्र0अ0प्रा.शा.	प्रा.शा. बेड़ाउमरगॉव	बकावण्ड	बस्तर
5	श्रीमती मीरा टांडिया	उ0श्रे0शि0	मा.शा. लखनपुरी	चारामा	कांकेर
6	श्री उमेश प्रताप सिंह	उ0श्रे0शि0	मा0शा0 भगतसिंह	जगदलपुर	बस्तर
7	श्री देवेन्द्र कुमार पानीग्राही	उ0श्रे0शि0	मा0शा0 फरसागुड़ा	बस्तर	बस्तर
8	श्रीमती सध्या पाण्डेय	उ0श्रे0शि0	मा0शा0पनारापारा	जगदलपुर	बस्तर
9	श्री रमांचल सिंह ठाकुर	उ0श्रे0शि0	मा.शा.कुम्हली	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर
10	श्री प्रकाश कुमार मोरे	उ0श्रे0शि0	मा0शा0 छिन्दावाड़ा	दरभा	बस्तर
11	श्रीमती खीरमनी तिवारी	उ0श्रे0शि0	मा.शा. तोकापाल	तोकापाल	बस्तर
12	श्रीमती माया यादव	उ0श्रे0शि0	ज0मा0शा0ब0उ0मा0 वि0 जगदलपुर	जगदलपुर	बस्तर
13	श्री नारायण प्रसाद साहू	उ0श्रे0शि0	डाईट, नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर
14	श्री बालकृष्ण बैध	उ0श्रे0शि0	मा.शा. अरण्डी	केशकाल	कोण्डागांव
15	श्री नरेन्द्र कुमार पानीग्राही	उ0श्रे0शि0	मा.शा.धाराउर	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर

शर्तें :–

01. उक्त पदोन्नति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/एफ 20–03/2019/1–3 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23.12.2019 तथा पत्र क्रमांक/एफ 20–03/2019/1–3 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.12.2025 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरूद्ध माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./PIL/NO.-91/2019, W.P.(S) No. 9778/2019 अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 के परिपालन में डीपीसी की कार्यवाही की गई।
02. पदोन्नत हुए जिन शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित है, अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो ऐसे कर्मचारियों के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराकर उनकी जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।

Scanned with OKEN Scanner

03. पदोन्नत हुए शिक्षको में सेवानिवृत्ति/पूर्व से पदोन्नत(वर्ष 2022 में)/दिवंगत/अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये यह आदेश लागू नही होगा। ऐसे शिक्षकों/प्र0पा0 प्राथमिक शाला की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजी जावे।

04. यदि कोई शिक्षक पदोन्नति से इन्कार करना चाहते हैं तो पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. पदोन्नति से इन्कार करने वाले शिक्षक के अभ्यावेदन पर सुसंगत बातों पर विचार करते हुए पदोन्नति नहीं चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जायेगा । अभ्यावेदन स्वीकार नही होने पर चयन सूची के अगले कर्मचारी को पदोन्नत किया जावेगा और ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति के इन्कार करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तता के उद्भूत होने तक जो भी पूर्ववर्ती हो, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा।

06. पदोन्नत शिक्षक द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने पर छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/1–1/1/वे.आ.प्र./99/दिनांक 23.09.2012 के तहत् उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जायेगा।

07. यदि "टी" संवर्ग के शिक्षक को "ई" संवर्ग की संस्था में एवं "ई" संवर्ग के शिक्षक को "टी" संवर्ग की संस्था में इस आदेश में पदस्थापना किया गया हो तो कार्य भार ग्रहण न करावें तथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

08. काउंसिलिंग संभाग स्तर पर संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर(छ0ग0) द्वारा की जाएगी एवं काउंसिलिंग की तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

09. संबंधित उ0श्रे0शि0/प्र0पा0 प्राथमिक शाला (नियमित) को प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (ई संवर्ग) में पदोन्नति उपरांत लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पत्र क्र/स्था3/ई संवर्ग/129/2023/33 नवा रायपुर दिनांक 12.12.2023 अनुसार स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) की भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधो का पालन करते हुए प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (नियमित संवर्ग से पदोन्नत) की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

Digitally signed by
HET RAM SOM
Date: 23-03-2026
15:11:38

संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

पृ.क्रं./1574/स्था.02/पदो0/ई संवर्ग/2025-26 जगदलपुर, दिनांक 23/03/2026

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
04. कलेक्टर, (समस्त) बस्तर संभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
05. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन बस्तर संभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। यह पदोन्नति आपसे प्राप्त प्रस्ताव एवं वरिष्ठता सूची के अनुसार शिक्षक/प्र0पा0 प्राथमिक शाला (नियमित संवर्ग) से जो पदोन्नति की अर्हता रखते हैं, को पदोन्नत किया गया है। तथापि उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में यह पदोन्नति प्रभावशील नहीं होगी। इस संबंध में उनके स्नातक एवं प्रशिक्षित के शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता का परीक्षण कर सही पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जावे। उपरोक्त शिक्षकों के प्रस्ताव में कोई विसंगति/त्रुटि हो तब उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराया जावे एवं तत्काल इस कार्यालय में सूचना अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें, ताकि उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। साथ ही शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करें।
07. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त) बस्तर संभाग को सूचनार्थ।
08. संबंधित प्राचार्य, हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधित पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
09. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त) बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ, लेख है कि संबंधित पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
10. संबंधित पदोन्नत शिक्षक/प्र0पा0 प्राथमिक शाला (नियमित) ई संवर्ग श्री/श्रीमती/सुश्री .... को सूचनार्थ अग्रेषित।

––सही––
संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner